



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



25 आश्विन, 1945 (श०)

संख्या - 614 राँची, मंगलवार,

17 अक्टूबर, 2023 (ई०)

ऊर्जा विभाग

संकल्प

7 जुलाई, 2022

विषय: Energy Conservation Act 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के Energy Conservation Building Code, 2017 को संशोधनों के साथ राज्य में लागू करने हेतु Jharkhand Energy Conservation Building Code, 2022 तथा Jharkhand Energy Conservation Building Code Rules, 2022 की स्वीकृति के संबंध में।

संकल्प सं.- ई.2/ऊ.वि.(विविध)-11/17/1290--भारत सरकार के ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण दक्षता लाने के लिए Bureau of Energy Efficiency(BEE) (विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की संस्था) के द्वारा Energy Conservation Building Code, 2007 बनाया गया, जिसे 2017 में संशोधित कर Energy Conservation Building Code, 2017 बनाया गया है। इसके तहत वाणिज्यिक भवनों जिसमें 100 KW के connected Load है अथवा 120 KVA या इससे अधिक का contract demand है, के लिए न्यूनतम ऊर्जा व्यवहार पैमाना (Minimum Energy Performance standards) को लागू किया जाना है।

2- Energy Conservation Act 2001 के प्रावधानों के तहत Energy Conservation Building Code, 2017 को झारखण्ड राज्य में लागू करने हेतु Jharkhand Energy Conservation Building Code, 2022 तथा Jharkhand Energy Conservation Building Code Rules, 2022 तैयार किया गया, जिस पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-21-06-2022 में मद संख्या-26 में अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अविनाश कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव।
